UPMO010024222026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

उपस्थित– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) I.D No.UP 1895

दाण्डिक निगरानी संख्या–50/2026

अंकित शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र सुधीर कुमार शर्मा, निवासी–बैंक कॉलोनी, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

..........................निगरानीकर्ता।

बनाम

1– राज्य सरकार, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद।

2– शिव ओम शर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष, पुत्र सतीश चन्द्र शर्मा, निवासी–मेय फेयर कॉलेज, पण्डित नगला, चौकी के पास, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद।

....................रेस्पाण्डेन्टस्।

निर्णय

1– निगरानीकर्ता/अभियुक्त ने प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01, मुरादाबाद द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–4592/2019, शिवओम शर्मा बनाम अंकित शर्मा आदि, अन्तर्गत धारा–406 भा0दं0संहिता, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद, में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.01.2026, जिसके माध्यम से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता का उन्मोचन प्रार्थना अन्तर्गत धारा–245 दं0प्र0संहिता पत्र निरस्त कर दिया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है।

2– सक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, रेस्पोन्डेंट/परिवादी शिव ओम शर्मा ने निगरानीकर्ता एवं अन्य के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा–323, 504, 420, 467, 468, 471, 406, 120बी, 506 व 384 भा0दं0संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया था कि, वह पण्डित नगला, थाना कटघर, मुरादाबाद में प्रोपर्टी का कार्य संचालित करता है। दिनांक 05.12.2017 को उसके परिचित अंकित शर्मा आये और उससे कहा

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.13 17:35:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि, एक बैनामा कराना है, उसके लिए उसे दस लाख रूपये की आवश्यकता है, आप उसे दे दो, वह तीन माह में वापस कर देगा। निगरानीकर्ता के साथ उस समय अतुल शर्मा नाम का व्यक्ति भी था, जिसने अपने आप को सेल्स मैनेजर, विश्वनाथ पेपर मिल, जसपुर रोड, काशीपुर, उधमसिंह नगर होना बताया। उस समय परिवादी के दोस्त सूरज शर्मा व रंजीत यादव भी मौजूद थे। प्रार्थी ने निगरानीकर्ता से कहा कि, इस समय दस लाख रूपये तो नहीं है, सात लाख रूपये की व्यवस्था हो पायेगी, वह उसे कल दे देगा। परिवादी ने अगले दिन दिनांक 06.12.2017 को उपरोक्त दोस्तों के सामने नकद घर में से सात लाख रूपये गवाहान सूरज व रंजीत के सामने निगरानीकर्ता को दे दिये। उक्त लीोगों द्वारा रूपये वापस करने का तीन माह का समय दिया गया। लगभग एक सप्ताह बाद ही निगरानीकर्ता अतुल शर्मा के साथ एक अन्य व्यक्ति संजीव जिन्दल, मालिक विश्वनाथ पेपर मिल, जसपुर रोड काशीपुर उधमसिंह नगर को लाया और करने लगा, इनकी पेपर मिल है, उसमें बेस्ट पेपर की ठेकेदारी कर लो, प्रोपर्टी के कारोबार में कुछ नहीं रखा है और भरोसा दिलाया एक फर्म बना लो, परिवादी ने आनाकानी की तो उक्त लोगों ने कहा कि, फर्म भी वह बनवा देंगे। परिवादी ने अपने समस्त प्रपत्र फर्म बनाने हेतु उक्त लोगों को दे दिये और उक्त लोगों ने परिवादी से पांच चैक सिक्योरिटी के लिए मांगे, परिवादी ने चैक देने से इन्कार किया तो उक्त लोगों ने कहा कि, बिना हस्ताक्षर के अपने चैक दे दो, भरोसे पर परिवादी ने अपने बैंक ऑफ बड़ोदा ब्रांच लाजपतनगर के पांच चैक क्रमशः चैक संख्या–159, 160, 161 व 172, 173 बतौर अमानत उक्त लोगों को दे दिये। उपरोक्त लोगों द्वारा परिवादी को गुमराह करके उसके चैकों पर फर्जी हस्ताक्षर करके छल कपट करके खुली धोखाधड़ी की है और परिवादी के उक्त चैकों में धोखाधडी करके लगभग सवा करोड़ के चैक बाउंस करा लिये। परिवादी ने किसी प्रकार की कोई कुटेशन व पेपर आर्डर अपने फर्म के नाम से अपने हस्ताक्षर से नहीं किये। उपरोक्त लोग छप, कपट करके चौथ वसूली करके रकम वसूलना चाहते हैं। उक्त आधारों पर परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता व अन्य दो व्यक्तियों को तलब किये जाने की याचना की गयी।

3— विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.03.2020, को परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा—200 दं0प्र0संहिता एवं गवाहान सूरज शर्मा व रंजीत सिंह के बयान अन्तर्गत धारा—202 दं0प्र0संहिता का अवलोकन करने के उपरान्त निगरानीकर्ता एवं एक अन्य व्यक्ति को धारा—406 भा0दं0संहिता के अन्तर्गत तलब किया।

4— उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने एक दाण्डिक निगरानी नम्बरी—218/2023, अंकित शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य आदि सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे तत्कालीन सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 10.05.2024 के माध्यम से निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश को पुष्ट किया गया।

5— इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, निगरानीकर्ता ने परिवाद की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं तलबी आदेश दिनांकित 06.03.2020 को निरस्त कराने हेतु एक याचिका नम्बरी—13820/2025, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, परन्तु दौरान बहस निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में वांछित अनुतोष पर बल न दिये जाने का कथन करते हुए, माननीय न्यायालय से विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति आहूत की गयी, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 14.05.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता की याचिका को अन्तिम रूप से निर्णीत करते हुए, उसे आदेश की दिनांक से तीन सप्ताह के अन्दर उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6— उक्त आदेश के अनुपालन में निगरानीकर्ता ने दिनांक 04.06.2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—245 दं0प्र0संहिता/268 बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी को उपरोक्त मामले में रंजिश के आधार पर फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, परिवादी द्वारा दिनांक 17.10.2019 को धारा—200 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत अपना बयान अंकित कराया है, जिसमें परिवाद का समर्थन नहीं किया है तथा प्रार्थी व सह—अभियुक्त अतुल शर्मा के साथ 7,00,000/—रूयपे का लेनदेन करना बताया है, जबकि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में अंकित शर्मा, अतुल शर्मा

तथा संजीव जिंदल का नाम बताया गया है, अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0संहिता में कहीं भी किसी घटना को लेकर संजीव जिंदल के बारे में न्यायालय में अपने बयान में दर्ज नहीं कराया है, परिवादी द्वारा धारा–202 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 सूरज शर्मा का बयान दिनांक 18.01.2020 को दर्ज कराया है तथा घटना में मनगढ़ंत कहानी बनायी गयी है, उक्त गवाह के द्वारा परिवादी के बयान व वाद पत्र का समर्थन नहीं किया गया है, पी0डब्लू0–2 रन्जीत सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0संहिता में परिवादी के बयान व वाद का समर्थन नहीं किया है, उपरोक्त प्रकरण में परिवादी के विरुद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के न्यायालय में परिवाद संख्या–4444/2019, धारा–138 एन.आई. एक्ट, विश्वनाथ पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड, हल्दुआ साहू, जसपुर, उधम सिंह नगर द्वारा अधिकृत में प्रतिनिधि परचेज मैनेजर अतुल कुमार सिंह बनाम शिव ओम शर्मा प्रो0 शिव ओम शर्मा इन्टर प्राइजेज, मुरादाबाद 79,22,207/–रूयपे, दूसरा परिवाद संख्या–4445/2019, धारा–138 एन. आई. एक्ट धनराशि 11,00,000/– रूपये विचाराधीन है तथा परिवादी के विरूद्ध कुल अंकन 99,65,207/–रूपये के वाद चल रहे हैं, प्रार्थी के पिता सुधीर शर्मा ने परिवादी शिवओम शर्मा को विश्वनाथ पेपर मिल से 99,63,207/–रूपये का पेपर दिलाया था, उक्त रकम के पेपर दिलाने में प्रार्थी के पिता जमानती थे, परिवादी ने उक्त विश्वनाथ पेपर मिल के 99,62.207/– रूपये वापस नहीं दिये, न देने पर विश्वनाथ पेपर मिल की ओर से परिवादी के विरुद्ध चैक के मुकदमे दायर कर दिये, जो कि विचाराधीन हैं, परिवादी ने प्रतिवादी के पिता सुधीर शर्मा से विश्वनाथ पेपर मिल द्वारा परिवादी के विरुद्ध दायर 99,62,207/–रूपये के केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, प्रतिवादी के पिता सुधीर ने मना कर दिया तो उक्त परिवादी द्वारा प्रार्थी को उक्त परिवाद में न्यायालय में अपने चल रहे मुकदमों को छिपाकर तथा गवाहों से मिलकर प्रतिवादी/प्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.03.2020 में झूठा बयान देकर तलब कराया है, उक्त परिवाद में परिवादी द्वारा जो गवाह दर्शाये हैं, वह उसके परिचित हैं, स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं, उक्त परिवाद में प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, प्रार्थी द्वारा कभी भी परिवादी शिव ओम शर्मा से सात लाख रूपये नहीं

लिये गये हैं, परिवादी द्वारा अपने विरूद्ध चल रहे मुकदमों से बचने के लिए तथा फैसले का दबाव बनाने के लिए झूठा परिवाद दायर कर सच्चाई छिपाकर प्रार्थी को तलब कराया है, प्रार्थी की उक्त प्रकरण में कोई संलिप्तता नहीं है।

7— उन्मोचन प्रार्थना पत्र के विरुद्ध परिवादी द्वारा आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल और सुब्रमण्यम सेथुरमन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह अभिमत दिया है कि, न्यायालय द्वारा समन जारी करने के बाद आम तौर पर उन्मोचन स्वीकार्य नहीं होता है, विशेष रूप से समन मामले में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि, किसी अपराध का संज्ञान लेने और समन जारी करने के बाद मजिस्ट्रेट अपने ही आदेश को वापस नहीं ले सकता या उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। समन के मामले में अभियुक्त को समन जारी होने के बाद उन्मोचन दाखिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि समन परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र गलत एवं झूंठे तथ्यों पर आधारित है, न्यायालय द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है, परिवादी ने धारा—200 दं0प्र0संहिता के बयानों में घटना का समर्थन किया है, गवाह सूरज शर्मा ने भी परिवादी के बयानों का समर्थन किया है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

8— विचारण न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुनने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 08.01.2026 के माध्यम से निगरानीकर्ता का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की हैः—

9— यह कि, प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी संख्या—2 के विरूद्ध काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के न्यायालय में परिवाद संख्या—4444/2019, अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, विश्वानाथ पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड, हल्दुआ साहू, जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि परचेस मैनेजर अतुल कुमार सिंह बनाम शिव ओम शर्मा, प्रोपराईटर शिवओम एण्टरप्राईजेज, बुद्ध बाजार, सागर सराय, मुरादाबाद एवं हनुमान मूर्ति

चौराहा, सम्भल रोड, नंगला, मुरादाबाद अंकन 79,22,207/–रूपये के सम्बन्ध में, वाद संख्या–4445/2019, अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट व वाद संख्या–4446/2019, अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट विचाराधीन हैं, जिनमें कुल लेन–देन अंकन 99,62,207/–रूपये का है। निगरानीकर्ता, विश्वनाथ पेपर मिल में परचेस मैनेजर के पद पर तैनात था, न तो निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या–2 से कोई पैसा लिया है और न ही कभी कोई सम्पर्क किया, जबकि वास्तविकता यह कि, निगरानीकर्ता के पिता सुधीर शर्मा का साक्षी सूरज शर्मा से पैसों का लेन–देन था, इसलिए सूरज शर्मा से हमसाज होकर निगरानीकर्ता के विरूद्ध काल्पनिक तथ्यों के आधार पर झूठी कार्यवाही की जा रही है। निगरानीकर्ता पर विपक्षी संख्या–2 द्वारा दबाव बनाया गया था कि, विश्वनाथ पेपर मिल के मालिक से चैक्स के मुकदमों में फैसला करा दे, जब निगरानीकर्ता ने ऐसा करने से मना किया, तो काल्पनिक तथ्यों के आधार पर दबाव बनाने की नीयत से विपक्षी संख्या–2 द्वारा परिवाद योजित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह लिखा गया है कि, धारा–138 एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित व अन्य प्रकरण के मुकदमे लम्बित होने से उनका इस प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि, विपक्षी संख्या–2 द्वारा विश्वनाथ पेपर मिल से व्यापार किया जाता था व निगरानीकर्ता उस पेपर मिल में काम करता था। विपक्षी संख्या–2 द्वारा दिये गये चैक्स अनादरित हो गये, उन मामलों में फैसला करने के उद्देश्य से निगरानीकर्ता को काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आरोपित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कथनों का सम्यक् परिशीलन किये बिना ही पारित किया गया है, जो कि विधि की सुनिश्चितता प्रकट नहीं करता। धारा–245(1) दं0प्र0संहिता के अनुसार यदि धारा–244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यह विचार है कि, अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है, जो अखण्डित रहने पर असली विपक्षी संख्या–02 के लिये समुचित आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। परिवाद में उल्लिखित कथन, बयान वादी एवं बयान साक्षी में घोर विरोधाभास है। प्रश्नगत आदेश से विधि की सुनिश्चितता प्रकट नहीं होती है। पैसे के

लेन–देन का विवाद दीवानी प्रक्रिया है, जिसको दीवानी न्यायालय द्वारा ही निर्णीत किया जाना चाहिए, उसको आपराधिक आचरण का रूप नहीं देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी है, विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य की भी अनदेखी की गयी है। प्रश्नगत आदेश विधि–विरूद्ध है व मनमाने तरीके से पारित किया गया है, न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश अवैध अतिमर्मिज एवं अनौचित्यपूर्ण होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार कर, आलोच्य आदेश दिनांकित 08.01.2026, को निरस्त कर निगरानीकर्ता को उक्त मुकदमे से उन्मोचित करने की याचना की गयी।

10– रेस्पोन्डेंट संख्या–2 शिवओम शर्मा की ओर से उपरोक्त निगरानी के विरुद्ध आपत्ति कागज संख्या–11बी इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, विचारण न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–01, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या–4592 / 2019, शिवओम शर्मा बनाम अंकित शर्मा व अन्य, अन्तर्गत धारा–406 भा0दं0संहिता, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में आदेश दिनांकित 08.01.2026, पारित करते हुए अभियुक्त अंकित शर्मा द्वारा उन्मोचन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अभियुक्त अंकित शर्मा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र झूठे व भ्रामक तथ्यों पर आधारित था और किसी भी साक्ष्य से समर्थित नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 08.01.2026, पूर्णतः सही और वैध है। अभियुक्त (अंकित शर्मा) ने उपरोक्त परिवाद संख्या–4592 / 2019, शिवम शर्मा बनाम अंकित शर्मा एवं अन्य, धारा–406 भा0दं0संहिता, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में अभी तक जमानत प्राप्त नहीं की है और मामले की कार्यवाही में देरी करने के आशय से उसने झूठे और भ्रामक तथ्यों के आधार पर बिना किसी साक्ष्य के विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अंकित शर्मा के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की, क्योंकि उसने उक्त मामले में अभी तक जमानत प्राप्त नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी करने और याचिकाकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में दाखिल अवैध व मनमानी

रिहाई याचिका को खारिज करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। विधि व्यवस्था अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल और सुब्रमण्यम सेथुरमन बनाम महाराष्ट्र राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि, न्यायालय द्वारा समन जारी करने के बाद आम तौर पर उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होता है, विशेष रूप से समन मामलों में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि, किसी अपराध का संज्ञान लेने और समन जारी करने के बाद, मजिस्ट्रेट अपने ही आदेश को वापस नहीं ले सकते या उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, समन के मामले में अभियुक्त को समन जारी होने के बाद उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि समन परीक्षण प्रक्रियाओं में उन्मोचन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा मामले की योग्यता, तथ्यों और शिकायत में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त अंकित शर्मा व अन्य को तलब किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2020 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त अंकित शर्मा व अन्य के विरुद्ध समन जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। परिवादी ने दिनांक 17.10.2019 को धारा–200 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत बयान दर्ज कराते समय विचारण न्यायालय में परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया था, वही गवाह सूरज शर्मा ने अपने बयान दिनांकित 18.01.2020 एवं अन्य गवाह रणजीत सिंह ने अपने बयान दिनांकित 01.02.2020 में भी परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया था। परिवाद संख्या–4592/2019, शिवम शर्मा बनाम अंकित शर्मा एवं अन्य, अन्तर्गत धारा–406 भा0दं0संहिता, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त अंकित शर्मा ने उन्मोचन प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि, समन, तथ्यों और निष्कर्षों पर आधारित नहीं है और समन जारी होने के बाद विचारण न्यायालय के पास इसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि परिवादी शिवओम शर्मा के खिलाफ एन0आई0 एक्ट के तहत कोई शिकायत मामला लंबित है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि, समन आदेश और साथ ही उन्मोचन प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति का आदेश गलत है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.03.2020, विधि अनुसार

तथा परिवादी के परिवाद पत्र व उसके द्वारा परीक्षित कराये गए साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में पारित किया गया था। इसके अलावा, अभियुक्त ने दिनांक 04.06.2025 को अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण विचारण न्यायालय द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र सही ढंग से निरस्त किया गया था। उपरोक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

11— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है और पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

12— पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, प्रारम्भ में परिवादी ने प्रश्नगत परिवाद निगरानीकर्ता एवं अन्य को धारा—323, 504, 420, 467, 468, 471, 406, 120बी, 506 व 384 भा0दं0संहिता के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के बयान अन्तर्गत धारा—200 एवं गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा—202 दं0प्र0संहिता का अवलोकन करने के उपरान्त निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया केवल धारा—406 भा0दं0संहिता का मामला पाते हुए, उसे आदेश दिनांकित 06.03.2020 के माध्यम से केवल धारा—406 भा0दं0संहिता के अन्तर्गत तलब किया था।

13— निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिये हैं कि, परिवादी एवं गवाहान के बयान में विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त जब परिवादी ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध लम्बित परिवाद संख्या—4443/2019 व 4446/2019, अन्तर्गत धारा—138 एन0आई0 एक्ट में फैसला कराने के लिए कहा और निगरानीकर्ता ने मना कर दिया, तो परिवादी ने उसके विरूद्ध प्रश्नगत परिवाद योजित कर दिया। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, निगरानीकर्ता की ओर से पूर्व में तलबी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी संख्या—218/2023 में न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष पारित किया जा चुका है कि, विश्वनाथ पेपर बोर्ड लिमिटेड, जसपुर, जिला उधमसिंह नगर के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त परिवाद अन्तर्गत धारा—138 एन0आई0 एक्ट परिवादी के विरूद्ध योजित किये जाने से पूर्व परिवादी ने प्रश्नगत परिवाद प्रस्तुत कर दिया था। अर्थात् निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत

निगरानी में जो मुख्य आधार लिया है, वह उसके द्वारा तलबी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी संख्या–218/2023 में भी लिया जा चुका है, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2024 को गुण–दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा एक ही आधार को भिन्न–भिन्न कार्यवाहियों के माध्यम से उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया धारा–406 भा0दं0संहिता का अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है।

14– तदनुसार न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। इस स्तर पर प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है तथा निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या–50/2026, अंकित शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य आदि, बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01, मुरादाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.01.2026 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय, पत्रावली विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित करे।

(सै0माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

दिनांकः 13.07.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सै0माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

दिनांकः 13.07.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।